<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2021</u>

सैयद गुलरेज होदा.....वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 31.08.2021 के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 31.08.2021 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 31.08.2021 में कहा गया है कि नालिश एराजी खाता–284, खेसरा–726 के हालसर्वे खतियान में 01 बिगहा 04 कट्ठा 13 धुर और खेसरा–727 में 02 कट्ठा 14 धुर एराजी दर्ज है परंतु नक्शा से शहरजमीन पर 03 कट्ठा 04 धुर जमीन कम हो रहा है अर्थात नक्शा से खेसरा–726 में 01 बिगहा 01 कट्ठा 15 धुर तथा खेसरा–727 में 02 कट्ठा 08 धुर जमीन ही हो रहा है। प्रतिवादीगण खतियान के अनुसार अपना दावा करते हुये अंचल कार्यालय लौरिया में जमाबंदी कायम कराये थे। परंतु चौहद्दी दर्ज नही की गयी। प्रतिवादी पंचम पक्ष द्वारा अंचल में दिये गये आवेदन से अलग अंचल अमलेगाम को मिलाकर अपने नाम से खेसरा–727 में 01 कट्ठा 09 धुर एराजी का जमाबंदी कराकर अपना दावा करते है। खाता–284 के साथ कुछ अन्य खातों का हालसर्वे खतियान रियासत हुसैन और मीर अब्दुल हक के नाम से तैयार हुआ। रियासत हुसैन नावल्द थे तथा सम्पूर्ण एराजी का आधा भाग मीर अब्दुल हक के लडके मीर अब्दुल गफुर को बक्खशीश कर दिये। इस तरक खेसरा–727 में कुल खतियानी रकबा 02 कट्ठा 14 धुर में मीर अब्दुल हक के वारिसानों का हिस्सा कभी भी 01 कट्ठा 09 धुर नही हो सकता है। प्रतिवादी पंचम पक्ष के द्वारा अंचल को मेल में लेकर खेसरा–727 में आयशा खातुन के नाम से अंचल दाखिल खारिज वाद सं0–321/1986–87 से 01 कट्ठा	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–37/2021

सैयद गुलरेज होदा.....वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2023	09 धुर की जमाबंदी अपने नाम से कराकर अपना दावा करते है। जबकि खेसरा–727 में हालसर्वे नक्शा से रकबा–02 कट्ठा 08 धुर ही है। जिसका आधा 01 कट्ठा 04 धुर होगा। इस प्रकार सभी फरीकों के द्वारा हालसर्वे नक्शा के रकबा के अनुसार अपना दावा नही करते है। बल्कि खतियानी रकबा से अपना दावा करते है। जो वास्तविक रकबा से अधिक का दावा होता है तथा फरीकों के बीच झगडा झंझट का कारण बना हुआ है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह धमकी दिया जाता है कि वे अपने हिस्से को किसी दबंग व अपराधिक किस्म के व्यक्ति को बेच देंगे। जिससे खुन खराबा हो सकता है। अगर किसी फरीक को अपनी जमीन बिक्री करने अथवा बक्ख्शीश करने की आवश्यकता पडे तो वे न्यायालय से अनुमति लेकर बिक्री अथवा बक्ख्शीश कर सके। इसीलिए यह आवेदन दिया गया है। सुविधा का संतुलन संयुक्त स्वत्व एवं संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर वादी के पक्ष में है। नालिश एराजी को बिक्री करने से वादी के साथ अन्य पक्षकारों को भारी क्षति हो सकती है। अतः निवेदन है कि मुकदमें के फैसले तक बगैर न्यायालय के आदेश से किसी भी फरीक को बिक्री अथवा बक्ख्शीश करने से रोकने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–38 की ओर से दिनांक 10.04.2023 को वादी के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादी का आवेदन दिनांक 31.08.2021 को तथ्यों एवं कानून दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया है तथा कहा गया कि विवादित भूमि खाता–284, खेसरा–726 एवं खेसरा–727 का हालसर्वे खतियान शेख रियासत हुसैन एवं मीर अब्दुल हक के नाम से दर्ज है। जो आपस में नजदीकी रिस्तेदार थे। जिसमें शेख रियासत हुसैन नावल्द वफात कर गये। खतियानी रैयत मीर अब्दुल हक अपने पीछे अपनी पत्नी खतमून नेशा तथा चार पुत्र अब्दुल गफुर, सैयद म0 जान, सैयद नुरूल होदा	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2021</u>

सैयद गुलरेज होदा.....वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2023	तथा सैयद अमीरूल होदा एवं एक पुत्री बीबी आयशा खातुन को छोडकर वफात कर गये। वादी एवं प्रतिवादी पक्ष सैयद अमीरूल होदा के वारिसान है तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अब्दुल गफुर के वारिसान है तथा प्रतिवादी तृतीय पक्ष सैयद नुरूल होदा के वारिसान है तथा प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष सैयद म0 जान के वारिसान है तथा प्रतिवादी पंचम पक्ष आयशा खातुन के वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच वर्ष 1982–83 में आपसी सहमति से सभी पारिवारिक सम्पति का बंटवारा हो गया। जिसके आधार पर अंचल में सभी लोगों के नाम जमाबंदी भी कायम हो गई तथा सभी लोग शांतिपूर्ण दखल कब्जें में रहते चले आये। तद्पश्चात बीबी आयशा खातुन ने अपने हिस्से की एराजी को अपनी पुत्री महमुदा खातुन को वर्ष 1987 में निबंधित बक्खशीशनामा तहरीर एवं तामिल कर दखल कब्जा दे दिया। जिसमें विवादित खाता–284 खेसरा–727 रकबा 01 कट्ठा 07 धुर भूमि भी शामिल है तथा अंचल द्वारा जाँचोपरांत जमाबंदी सृजित कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। विवादित भूमि का आर–डरेर देकर आपसी सहमति से सभी पक्षों के बीच बंटवारा हो चुका है। सभी लोग डिलविथ भी किये है। वर्तमान में खेसरा–727 की कीमत काफी बढ गयी है इसी का लाभ उठाकर प्रतिवादी को तंग तबाह करने हेतु यह वाद दाखिल किया है। वादी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया वाद स्थापित हो रहा है और न ही सुविधा का संतुलन प्राप्त है तथा यदि वाद में निषेधाज्ञा का आदेश पारित होता है तो प्रतिवादी सं0–38 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने की कृपा करें। वाद में उपस्थित अन्य प्रतिवादीगणों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन का मौखिक विरोध किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2021</u>

सैयद गुलरेज होदा.....वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2023	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद न0–01 में दी गयी भूमि में से अपना हिस्सा 14/648 अंश को अलग करते हुये वादी के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री पारित करने एवं मुकदमें के दौरान बिना न्यायालय के आदेश के अनुसूची–01 की भूमि के किसी भी अंश को किसी भी पक्षकार द्वारा बिक्री करने अथवा बक्खशीश करने से रोकने एवं अन्य अनुतोष हेतु लाया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है? वादी के अनुसार खाता–284 खेसरा–726 के हालसर्वे खतियान में 01 बिगहा 04 कट्ठा 13 धुर भूमि एवं खेसरा–727 में 02 कट्ठा 14 धुर भूमि दर्ज है। परंतु नक्शे से शहरजमीन पर 03 कट्ठा 04 धुर जमीन कम हो रहा है अर्थात नक्शा से खेसरा–726 में 01 बिगहा 01 कट्ठा 15 धुर एवं खेसरा–727 में 02 कट्ठा 08 धुर जमीन हो रहा है। वादी के अनुसार परिवार बढने पर वर्ष 1982–83 में मीर अब्दुल हक की सभी संतानों में सुविधा के अनुसार सभी मौरूसी एराजीयातों को बंटवारा हो गया तथा इस बंटवारा के अनुसार सभी फरीकों के नाम से लौरिया अंचल में अलग–अलग जमाबंदी कायम हो गयी। अंचल लौरिया जमाबंदी के दौरान इसके कई वर्षो के बाद तक नालिशी एराजी का अमीन रखकर नापजोख कर आर डरेर नही लगा। अंचल जमाबंदी निर्धारण के बंटवारा में फरीक आपस में एक राय नही हो सके। जिससे अंचल बंटवारा के अनुसार फरीक दखल कब्जा प्राप्त नही कर सके। बाद में वादी के द्वारा अप्रैल वर्ष 2015 में रामनरेश सिंह अमीन एवं प्रमोद पाण्डेय अमीन के द्वारा नापी कराया	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2021</u>

सैयद गुलरेज होदा.....वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2023	गया। जिसमें खेसरा–726 एवं खेसरा–727 में जमीन कम पाया गया। जबकि प्रतिवादी सं0–38 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों के बीच वर्ष 1982–83 में आपसी सहमति से सभी पारिवारिक सम्पति का बंटवारा हो गया। जिसके आधार पर सभी लोगों के नाम जमाबंदी भी कायम हो गया तथा सभी लोग बंटवारा के अनुसार शांतिपूर्वक दखल कब्जा में रहते चले आये। विवादित भूमि का आर डरेर देकर आपसी सहमति से सभी पक्षों के बीच बंटवारा हो चुका है तथा सभी लोग बंटवारा के अुनसार डिलविथ भी किये है तथा वर्तमान में खेसरा–727 की कीमत काफी बढ गयी है तथा इसी का लाभ उठाकर वादी द्वारा वाद दाखिल किया गया है। उभय पक्षों द्वारा वर्ष 1982–83 में आपसी सहमति से बंटवारा होना स्वीकार किया गया है तथा बंटवारा के अनुसार अंचल में जमाबंदी कायम होना भी स्वीकार किया है। वादी के अनुसार नालिशी एराजी का अमीन रखकर नाप जोखकर आर डरेर नही लगा। वादी एवं प्रतिवादीगण मीर अब्दुल हक के वारिसान है। वर्ष 1982–83 में बंटवारा होना वादी भी स्वीकार करता है तथा उसके आधार पर जमाबंदी होना भी स्वीकार करता है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी की ओर जाता हुआ प्रतीत नही होता है। वादग्रस्त भूमि पर वादी के अनुसार संयुक्त कब्जा बताया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रतिवादी पंचम पक्ष के पक्ष में होना बताया गया है। अतः सुविधा की तुला भी वादी की ओर जाती हुई प्रतीत नही होती है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिससे संभावना हो कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का बिक्री अथवा बक्खशीश करने हेतु आमादा हो। वादी के निषेधाज्ञा आवेदन को अस्वीकार किये जाने से वादी को अपूर्णीय क्षति होना भी दर्शित नही होता है। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 31.08.2021 को खारिज किया जाता है।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2021</u>

सैयद गुलरेज होदा.....वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.09.2023	उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 19.10.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	